ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 108-110**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

मीडिया और सोशल मीडिया का आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव

डॉ0 विजय कुमार

सहायक आचार्य– रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-03.07.2024, Revised-10.07.2024, Accepted-15.07.2024 **E-mail : vijayanand8385@gmail.com**

सारांशः भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी एक अहम मौलिक अधिकार है। आज के सम में इन अधिकारों के उपयोग के लिये सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिये हैं, उसकी कल्पना कुछ वर्षों पहले नहीं की जा सकती थी। यह एक ऐसा मंच है, जिसके सही उपयोग से किसी भी क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन इनका नकारात्मक प्रयोग सामाजिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक और सुरक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती पैदा कर रहा है। वर्तमान समय में वैचारिक और सूचना के आदान–प्रदान के लिए, समुदायों और समाज के विभिन्न समूहों को आपस में जोडने हेतु सोशल मीडिया का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। इसके लिए कई तरह के लोकप्रिय साधन और मंच आज उपलब्ध हैं। इन मंचों पर कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय रहते हैं, जो सरकार, समाज और मीडिया पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से समय–समय पर उनकी आलोचना करते रहते हैं। ऐसे लोग किसी घटना से जुड़कर उस पर तुरन्त सुधारात्मक रवैया, न्याय या निष्पक्षता के लिए, प्रतिकार, प्रतिशोध और दंड जैसे साधनों को अपनाये जोने पर जोर देने लगते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र भारत में मीडिया और सोशल मीडिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं के साथ उससे उत्पन्न चुनौतियों एवं उपायों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा।

कुंजीभूत शब्द– मीडिया और सोशल मीडिया, आंतरिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था, अभिव्यक्ति, मौलिक अधिकार

लोकतन्त्र के तीन स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संविधान में वर्णित हैं, परन्तु प्रिंट एवं टेलिविजन, मोबाइल और इंटरनेट मीडिया के बढ़ते दायरे ,एवं प्रभाव के कारण इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ भी कहा जाने लगा है। सर्वप्रथम इतिहासकार थामस कार्लाइल ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा था। संविधान में मीडिया के स्तवन्त्रता का दायित्व अनुच्छेद 19 (1) एवं निर्बन्धन 19 (2) में वर्णित प्रावधानों से लिया, जा सकते हैं।

भारत में ही करीब 82853 अखबार एवं लगभग 900 टेलीविजन चैनल ये बताने के लिए प्रर्याप्त हैं कि मीडिया कितना प्रभावशाली हो गया है। मीडिया का मुख्य दायित्व लोगों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना जनहिता की सूचनाओं को शीघ्र एवं सही ढंग तरह से पहुंचाना एवं सरकार पर लोक कल्याणकारी दायित्वों हेतु दबात अथवा जनमत बनाना है। डिजिटलाइजेशन एवं सस्ते इंटरनेट के इस दोर में मीडिया समाज के निम्नतम जडों तक भी पहुंचा गया है।

सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मीडिया आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में दोधारी तलवारों में तेजी से तब्दील हो रहे हैं। डेटा और डिजिटल क्रांति के परिणामस्वरूप सोशल मीडिया और पारंपरिक डिजिटल मीडिया का प्रभाव नाटकीय रूप से बढ़ गया है। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि वे सूचना प्रसार और संचार के लिए मूल्यवान उपकरण हो सकते हैं, वे सुरक्षा के लिए जोखिम और चुनौतियां भी पैदा कर सकते हैं।

आंतरिक सुरक्षा निमार्ण में सोशल मीडिया का योगदान– लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माने जाने के बावजूद, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के अन्य साधनों के सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक प्रयोगों के हालिया प्रदर्शन ने उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जाहें इसके प्रयोग से देश आगे बढ़ रह है वहीं इसके नकारात्मक और विघटनकारी प्रयोग से भारत के सुरक्षा माहौल के लिए जोखिम के दायरे को बढ़ा दिया हैं। अगर मीडिया और सोशल मीडिया की राष्ट्र की सुरक्षा के सार्थक प्रयोग के की बात करें तो निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं–

1. समाज का प्रतिनिधित्व, चेतना और राष्ट्रीय एकता : लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मीडिया कहा जाता है। इसका इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का रहा है और इसने लगातार सामाजिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा भारत की आजादी के बाद कई कठिन समयों के दौरान इसकी कुशल रिपोर्टिंग ने राष्ट्रीय चेतना और एकजुटता को बढ़ावा देने में सहायता की है। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटें सुरक्षा खतरों, आपात स्थितियों और सरकारी कार्रवाइयों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए आवश्यक चौनल हैं। वे सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकटों के समय पर प्रतिक्रिया करने में मदद कर सकते हैं।

2. सत्ता प्रतिष्ठान पर नियंत्रण एवं सुरक्षा चिन्ता और नीति निर्माण : चाहे कल्याण का मुद्दा हो या सुरक्षा का, सत्ता प्रतिष्ठान को चौकन्ना रखा गया है क्योंकि उसने सत्ता के सामने सच बोला है। बोफोर्स जांच से रक्षा उद्योग में भयंकर भ्रष्टाचार उजागर हुआ। मीडिया और नागरिक समाज सरकारी निगरानी और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वकालत और रिपोर्टिंग से नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नीतिगत बदलाव हो सकते हैं। अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से बुनियादी ढांचे की कमी, रक्षा तत्परता और अन्य मुद्दों के बारे में चिंताओं को सामने लाकर, इसने आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की स्थिति का एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। मीडिया विनियमन पर प्रारंभिक नीति चर्चाओं से नीति निर्माण को लाभ हुआ है।

3. सुरक्षा बलों की जावबदेही और न्यायिक दमन से रोक : इसमें सुरक्षा बलों द्वारा कब और कहां अत्याचार किए गए, इसका ब्यौरा दिया गया है। इसमें सरकार और सुरक्षा बलों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसने सामाजिक आक्रोश को दूर करने और न्यायिक दमन में सहायता की है।

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

4. सामाजिक आक्रोश की अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक सम्याता निर्माण : मीडिया लगातार सामाजिक आक्रोश को उचित रूप से उजागर करने में सहायता करता है जिससे शक्तिशाली सरकारों को भी अपने कड़े फैसलों से पीछे हटना पड़ा है और संवेदनशीलता के प्रदर्शन को मजबूर होना पड़ है। मनोरंजन मीडिया, जिसमें फिल्में, टेलीविजन और कला के अन्य रूप शामिल हैं, ने हमेशा सहिष्णु और लोकतांत्रिक सभ्यतागत और संवैधानिक मूल्यों का समर्थन किया है। इसने भारत के समग्र समाज को मजबूत करने में मदद की है।

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव – अपने कार्य में प्रभावी होने के बावजूद, मीडिया ने हाल ही में जाने अनजाने गैर–जिम्मेदाराना तरीके से काम करना शुरू कर दिया है, जिससे लगभग सभी देशों का सुरक्षा वातावरण खतरे में पड़ता दिख रहा है। ब्रेकिंग न्यूज संस्कृति–प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित समाचार माध्यमों की प्रचुरता ने पहले से ही तीव्र प्रतिस्पर्धा को और अधिक तीव्र कर दिया है।

समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए खबरों को सनसनीखेज बनाने का प्रयास करते हैं। इससे प्रायः कानून और व्यवस्था से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ब्रेकिंग न्यूज संस्कृति के कारण कभी–कभी लापरवाहीपूर्ण रिपोर्टिंग होती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक होती है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स में विचार प्रतिदिन नाटकीय रूप से आगे बढ़ते हैं, जिससे सुरक्षा में व्यवधान एक सामान्य बात है। सोशल मीडिया का आगमन एक ऐसा व्यवधान है जिसने वास्तविक समय में सूचना साझा करने के तरीके में पूरी तरह से क्रांति ला दी है। इसने सूचना पदानुक्रम को उलट दिया है, पहुँच को व्यापक बनाया है, और एक बिलकुल नई सूचना विनिमय पारिस्थितिकी का निर्माण किया है।

सोशल मीडिया की विघटनकारी प्रकृति कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ भी उत्पन्न करती है। आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले सोशल मीडिया के विभिन्न पहलू निम्नलिखत हैं–

1. असंवेदनशील रिपोर्टिंग– मीडिया तथा सोशल मीडिया द्वारा संवेदनशील महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग से सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, हाल ही में घटित सामुदायिक घटनाएँ और मीडिया द्वारा उन्हें जिस तरह से संभाला गया, वह बेहद विभाजनकारी था। इससे सामाजिक दुश्मनी बढ़ती है, जो सामाजिक तनाव के टाइम बम के रूप में काम करती है।

2. गैर जिम्मेदाराना मीडिया कवरेज और पोस्ट–ट्रुथ मीडिया– आतंकवाद के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया की कवरेज की सटीकता पर कभी–कभी सवाल उठाए जाते हैं। गैर जिम्मेदाराना रूप से इस मंच का प्रयोग एक समूह को दोषी ठहरानते हैं, युद्ध को बढ़ावा देते हैं और आतंकवाद से लड़ने के लिए कभी–कभी नासमझी भरे, त्वरित, नाटकीय कदमों के पक्ष में जनता की राय को प्रभावित करता है। 26/11 की घटनाओं के बारे में मीडिया की कवरेज की आलोचना की गई, क्योंकि इसमें व्यर्थ की टीआरपी की दौड़ में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया गया।

पोस्ट–ट्रुथ मीडिया अपने तर्कों को केवल सत्य के बजाय भावनाओं पर आधारित करता है, जिससे वह शत्रु के आक्रमण और हेरफेर के लिए खुला रह जाता है। मीडिया का राजनीतिकरण–समाचार मीडिया के राजनीतिकरण और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से लोकतंत्र की संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स और संचार ऐप का इस्तेमाल सरकारों और दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा निगरानी के लिए किया जा सकता है। व्यक्तिगत डेटा और संचार से समझौता किया जा सकता है, जिससे व्यक्तिगत गोपनीयता को खतरा हो सकता है।

3. फर्जी खबर– सोशल मीडिया के विकास के साथ ही झूठी खबरों का प्रचलन भी तेजी से बढ़ा है। सूचना के स्रोत के रूप में सोशल मीडिया ने समाचार चौनलों को पीछे छोड़ दिया है। डिजिटल पीढ़ी के लिए समाचार के पहले स्रोत फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट हैं। उदाहरण के लिए, फर्जी खबरों का दुष्परिणाम तब देखने को मिला जब महाराष्ट्र में भीड़ ने बच्चा चोरी की झूठी खबर फैला दी। इन प्लेटफॉर्म के जरिए गलत सूचनाएँ और भ्रामक जानकारियाँ तेजी से फैल सकती हैं, जिससे संकट के समय घबराहट और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

झूठी या भ्रामक जानकारी अधिकारियों और संस्थानों में जनता के भरोसे को भी कमजोर कर सकती है। विदेशी सरकारों सहित दुर्भावनापूर्ण अभिनेता, गलत सूचना फैलाने, जनमत को प्रभावित करने और चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है और सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है।

4. दुष्प्रचार युद्ध और आतंकवाद– फेसबुक पेजों और व्हाट्सएप ग्रुपों का सोशल मीडिया में प्रचार उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वे कट्टरपंथ के प्रतिध्वनि कक्ष के रूप में कार्य करते हैं तथा जनता को कट्टरपंथी बनाते हैं। आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी समूह सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से नए सदस्यों की भर्ती कर रहे हैं। अप्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन आतंकवादी समूहों के लिए बातचीत के अपेक्षाकृत सुरक्षित चौनल बन गए हैं।
साइबर अपराधी फिशिंग, मैलवेयर वितरण और साइबर हमलों के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों और संचार नेटवर्क का उपयोग करते हैं। हाई–प्रोफाइल साइबर हमलों पर मीडिया रिपोर्टें दहशत पैदा कर सकती हैं और देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

5. प्रतिबंध मुक्त प्लेटफॉर्म और असहिष्णु धार्मिक व्यवहार– सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय प्रतिबंध नहीं हैं। इस वजह से बाहरी पक्ष घरेलू मामलों में दखलंदाजी करने लगे हैं। लगातार ऐप आधारित प्लेटफॉर्मों की उपलब्धता के चलते सरकार अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों पर लगाम लगाने असफल रहती है। जिससे धर्म में कट्टरवाद सोशल मीडिया के

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

जरिए ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है। झूठे इतिहास और खबरों के प्रसार से देश के सामाजिक ताने–बाने को नुकसान पहुँच रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से घृणास्पद भाषण तेजी से फैल सकता है। चरमपंथी समूह भर्ती करने, कट्टरपंथी बनाने और दुष्प्रचार फैलाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं।

सोशल नेटवर्किंग साइटों की निगरानी और विनियमन की समस्याएं– सोशल मीडिया पारंपरिक सेंसरशिप और विनियमन प्रणालियों से आगे निकल गया है। इनकी निगरानी और विनियमन की समस्याएं निम्नलिखित हैं :

सोशल मीडिया की वैश्विक प्रकृति के कारण राष्ट्रीय सरकारें इसे चुनौतीपूर्ण मानती हैं। ऑनलाइन अपराध से निपटने का प्रयास करते समय सोशल मीडिया डेटा भंडारण क्षेत्राधिकार संबंधी चिंताएं उत्पन्न करता है।

निजी कंपनियां, जो बुनियादी ढांचे के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करती हैं, सुरक्षा सावधानियों और नियमित ऑडिटिंग को अनावश्यक खर्च मानती हैं, जिससे सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों से व्यक्तियों की सुरक्षा करना कठिन हो जाता है।सोशल मीडिया समस्याओं के प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि स्मार्टफोन और इंटरनेट जीवन के हर पहलू तक पहुंच गए हैं।

सोशल नेटवर्किंग साइटों पर कानूनी नियंत्रण क्या हैं?– गैर जिम्मेदार मीडिया और सोशल मीडिया पर कानूनी निंयत्रण के लिए सरकार द्वारा किये गए कुछ विधिक प्रयास इस प्रकार से हैं–

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (आईटी अधिनियम 2000) भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ा प्राथमिक कानून है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और इसके मध्यवर्ती विनियम, जो आईटी अधिनियम 2011 के तहत प्रकाशित किए गए थे , सामाजिक नेटवर्किंग नेटवर्क पर लागू होते हैं।

आईटी अधिनियम की अनेक धाराओं, विशेषकर धारा 69ए और 79, का उपयोग इंटरनेट सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है।

सुरक्षा संगठन सोशल मीडिया साइट्स पर खतरों की निगरानी करते हैं और उन्हें कम करने के लिए काम करते हैं। उन साइट्स के साथ मिलकर काम करते हुए, कई आपत्तिजनक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हटाया गया है।

निष्कर्ष– वैश्वीकृत दुनिया में मीडिया सरकार, विपक्ष और आम जनता के खिलाफ एक घातक हथियार बन गया है। सूचना सॉफ्ट पावर के एक घटक के रूप में भव्य रणनीति के ढांचें के भीतर एक रणनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करती है। सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। हालांकि, हमें इसके दोहन को रोकने के लिए कार्रवाई करने पर विचार करना होगा, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा न हो।

सोशल मीडिया निस्संदेह हमारी दुनिया के लिए एक वरदान है, इसके सभी फायदे और विकास की संभावनाएं हैं, लेकिन दुरुपयोग या लापरवाही से उपयोग आंतरिक सुरक्षा पर हॉनिकारक प्रभाव डाल सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय सरकार को अपने सुरक्षा ढांचे का आधुनिकीकरण करना होगा। सोशल मीडिया का उपयोग रचनात्मक या सृजनात्मक कारणों से सही ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि यह मानवता और समाज के लिए प्रतिगामी होने के बजाय प्रगतिशील हो, क्योंकि हमें इसके नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए।

संदर्भग्रंथ सूची

1. Agichtein, E. ; Castillo, C.; Donato, D; Gionis, A. & Mishne, G. (2008). Finding high-quality content in social media; Proceedings of the 2008 international conference on web search and data mining; pp. 183-193
2. Dijck, J. V. (2013). The culture of connectivity: A critical history of social media. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-997079-7 Ghosh, R. (2011).
3. https://www.smgconferences.com/defence/uk/conference/social-media-within-the-military-and-defence sector
4. https://www.clearias.com/role-media-social-networking-sites-internal-security
5. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpulse%2Frole-social-media-information-warfare-khurshid-khan-
6. https://www.researchgate.net/publication/379872133_%27The_Role_of_Social_Media_in_the_Spread_of_Misinformation_and_Fake_News%27
7. https://www.start.umd.edu/pubs/START_PIRUS_UseOfSocialMediaByUSExtremists_ResearchBrief_July2018.pdf

*****